फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर (जोधपुर ग्रामींण)

कबू पत्नि कालूराम **बनाम** अगरसिह पुत्र बन्नेसिह वगेराह

किस्म मुकदमा – 212 राज. काश्तकारी अधि. 1955 (मुकदमा नम्बर 07/2024) (सन् 2024)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
19.12.2024	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया गया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस मे जाहिर किया कि राजस्व ग्राम मोतीसागर पटवार हल्का राजसागर तहसील चामू मे स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1246/1, 1247/1, 1247/2 की भूमि आई हुई है। राजस्व जमाबंदी संवत् 2078 के अनुसार अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण का हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज है। राजस्व मूलवाद के निर्णय तक उभयपक्ष के विरूद्ध इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वो वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1246/1, 1247/1, 1247/2 बाके मोतीसागर की बिना विधिवत बंटवाडा करवाये किसी प्रकार का बेचान नही करें। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम मोतीसागर पटवार हल्का राजसागर तहसील चामू मे स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1246/1, 1247/1, 1247/2 की भुमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वो राजस्व ग्राम मोतीसागर पटवार हल्का राजसागर तहसील चामू मे स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1246/1, 1247/1, 1247/2 मे राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे वादगरस्त आराजी पर किसी भी प्रकार का नया निर्माण कार्य नही करे एवं प्रार्थी के हक हिस्से एवं कब्जा काश्त मे दखल अंदाजी नही करें। उक्त स्थगन आदेश गै.मु. रास्ता, सरकारी योजनाओं, राजकीय विभागो एवं कृषि सहायक गतिविधियो पर लागू नही होगा एवं उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता आदेश 39 सीपीसी की पालना मे अ[illegible] सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. से प्रेषित करते हुए आगामी तारीख पेशी [illegible] प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 20.01.2025 को पेश हों। Signature Not Verified Digitally signed by Bhawani Singh Date: 2025.08.27 15:48:37 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी, बालेसर	

सेवामें,

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व अहकाम इस हुक्म तामिल में जारी हुई
7/1/25	मूल वाद में प्रा.प्र. डिक्री का पेश होने के कारण पत्रावली आज तारीख पेशी पर ली गई। मूल वाद जरिये डिक्री निस्तारित किया जा चुका है। मूल वाद के अभाव में पत्रावली सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19/12/24 को मौजा मोतीसागर के खसरा नम्बर 1246/1, 1247/1, 1247/2 पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, जालेसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.08.27 15:48:37 IST
Reason: SelfAttested